



| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|---|
| 26.11.2024  | <p>पत्रावली पेश हुई। निगराकार की ओर से जरिये अधिकवक्ता नमन ओझा एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो किये जाने पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो किये जाने दिनांक 27.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (राजेन्द्र सिंह शेखावत)<br/>           जिला कलक्टर<br/>           शाहपुरा         </p>  |   |
| 27.11.2024  | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। निगराकार लेखराज जाट पुत्र जगदीश चन्द्र जाट द्वारा पूर्व पेशी पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो किये जाने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। इसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार द्वारा दिनांक दिनांक 03.11.2020 को उक्त निगरानी विरुद्ध गैर ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 जीना देवी कंजर पत्नी रामपाल कंजर के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 05.07.2019 की गई। इसके पश्चात प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिनांक 03.04.2024 से वहस में चल रहा था। निगराकार द्वारा दिनांक 26.11.2024 को निगरानी विद्धो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। पूर्व में भी निगराकार द्वारा न्यायालय में पट्टे खारिज करने की निगरानियां लगाई व विद्धो कर ली गई। इस प्रकार निगराकार द्वारा निगरानी पेश करना व पट्टा खारिज करने के तथ्य व इस संबंध में दस्तावेज पेश कर वहस स्तर पर निगरानी विद्धो करने का ट्रेंड पाया गया। अतः न्यायिक प्रक्रिया के तहत निगराकार का प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विद्धो किये जाने स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। साथ ही विकास अधिकारी जहाजपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है उक्त प्रकरण में पट्टा आवंटन की प्रक्रिया व आवंटन का विश्लेषण करे। इस संदर्भ में की गई जांच के आधार पर विकास अधिकारी होने के नाते राज्य सरकार की महत्वपूर्ण आवादी भूमि में यदि गलत पट्टे जारी हुए है तो अपने दायित्व का निर्वाहन करते हुए अलग से निगरानी पेश करे। विकास अधिकारी जहाजपुर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी निगरानी पेश करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। आदेशिका की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति जहाजपुर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फंसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> <br/>           (राजेन्द्र सिंह शेखावत)<br/>           जिला कलक्टर<br/>           जिला कलक्टर<br/>           शाहपुरा         </p> |   |

